

(To be published in Part-I, Section I of the Gazette of India Extraordinary)

**Government of India
Department of Commerce
Ministry of Commerce & Industry
(Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties)
4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street**

Dated the 20th November, 2014

INITIATION NOTIFICATION

Subject: Initiation of Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of “Normal Butanol” or “N-BUTYL ALCOHOL” originating in or exported from European Union (EU), Malaysia, Singapore, South Africa and United States of America (USA).

F.No.14/4/2013-DGAD: M/s The Andhra Petrochemicals Limited, (hereinafter referred to as ‘petitioner’ or ‘the applicant’) has filed an application (also referred to as petition) along with relevant information before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Act’) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules) for initiation of Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of Normal Butanol (hereinafter referred to as the subject goods or “NBA”) originating in or exported from European Union (EU), Malaysia, Singapore, South Africa and United States of America (USA) (hereinafter also referred to as the subject countries/territories).

2. AND WHEREAS, the Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries/territories, ‘injury’ to the domestic industry and causal link between the dumping and ‘injury’ exists to justify initiation of an anti-dumping investigation. The Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the ‘injury’ to the domestic industry.

Domestic Industry & Standing

3. The application has been filed by M/s The Andhra Petrochemicals Limited. The petitioner is the sole producer of the subject goods in the country. It is also noted that the production by the petitioner constitutes total Indian production of the like product produced

in India. It is also noted that petitioner has neither imported the subject goods, nor are they related to an importer or exporter of the subject goods. It is, thus, determined that the application has been made by and on behalf of the domestic industry and the application satisfies the requirements of 'standing' under Rule 5 of the AD Rules. Further, the Applicant constitutes 'Domestic Industry' in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.

Product under consideration

4. The product under consideration in the present petition and proposed investigation is "Normal Butanol". Normal Butanol is a basic organic chemical normally classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act. Normal Butanol is a primary alcohol with a 4-carbon structure and molecular formula C_4H_9OH . Normal Butanol is an excellent solvent for acid-curable lacquers and baking finishes derived from urea, melamine or phenolic resins. A large part of Normal Butanol is converted into derivatives for use as solvents in coating industries. This product is classified under Customs Tariff heading No. 29051300. However, the said Customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

Like Article

5. The applicant has claimed that the subject goods, which are exported from subject countries into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. Normal Butanol produced by the domestic industry and imported from subject countries are comparable in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable and hence, should be treated as 'like article' under the AD Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

Subject Countries

6. The countries involved in the present investigation are EU, Malaysia, Singapore, South Africa and USA.

Normal value

7. The Petitioner has submitted that efforts were made to get information/evidence of price of subject goods in the domestic market of the subject countries. However, petitioner was not able to get such information. The petitioner has, therefore, constructed normal value for all the subject countries/territories taking into account the international price of major raw materials, best consumption norm of domestic industry, conversion and other cost as per domestic industry and reasonable profit margin. The Authority has examined the claim of the petitioner and notes that there is sufficient prima facie evidence of normal value of the subject goods in the subject countries/territories.

Export Price

8. The applicant has claimed export price for product under consideration based on DGCIS transaction-wise data to assess the volume and value of imports into India. Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, inland freight expenses and bank charges.

Dumping Margin

9. The applicant has provided sufficient evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries/territories are significantly higher than the corresponding net export prices, prima-facie indicating that the subject goods originating in or exported from the subject countries/territories are being dumped, to justify initiation of the antidumping investigation.

Injury and Causal Link

10. The applicant has claimed that they have suffered material injury and have furnished evidence regarding injury having taken place as a result of the alleged dumping from subject countries/territories in terms of increase in imports in absolute terms, decline in production, sales, capacity utilization, deterioration in profits, return on capital employed, cash profit etc. The applicant has also claimed adverse price effects as evidenced by price suppression and price undercutting/underselling. The Authority considers that there is sufficient evidence of 'injury' being suffered by the applicant caused by dumped imports of subject goods from subject countries/territories to justify initiation of an antidumping investigation.

Period of Investigation

11. Domestic Industry has proposed the period of investigation for the present investigation as 1.4.2013 to 31.3.2014. However the authority has extended the same by 3 months as 1.4.2013 to 30.6.2014 so as to undertake analysis on the most recent data. Further the injury investigation period will cover the periods April 2010 to March 2011, April 2011 to March 2012, April 2012 to March 2013 and the Period of Investigation (POI).

Submission of information

12. The known exporters in the subject countries/territories and their Governments through their Embassies in India, importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file relevant information in the form and manner prescribed. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time-limit set out below and write to:

The Designated Authority
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties
4th Floor, Jeevan Tara Building
5, Parliament Street
New Delhi-110001

Time limit

13. Any information relating to this investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than 40 days from the date of publication of this notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record their findings on the basis of the 'facts available' on record in accordance with the AD Rules.

Submission of information on confidential basis

14. All interested parties shall provide a confidential and non-confidential summary in terms of Rule 7(2) of the AD Rules for the confidential information provided as per Rule 7(1) of the AD Rules.

15. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

16. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

17. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

18. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

19. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

20. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

Inspection of Public File

21. In terms of rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

22. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

(J.K. Dadoo)
Designated Authority

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग

नई दिल्ली 110001

दिनांक : 20.11.2014

जांच शुरूआत अधिसूचना

विषय:- यूरोपियन यूनियन (ईयू, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका तथा संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सामान्य ब्यूटानोल" अथवा "एन-ब्यूटायल अल्कोहल" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत

फाइल सं. 14/4/2013-डीजीएडी- समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात् पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) के अनुसार मैसर्स आन्ध्रा पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (जिसे एतदपश्चात् "याचिकाकर्ता" अथवा "आवेदन" कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष संगत सूचना युक्त एक आवेदनपत्र (जिसे एतदपश्चात् याचिका भी कहा गया है) यूरोपियन यूनियन (ईयू), मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध देश/भू-भाग कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सामान्य ब्यूटानोल (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु, अथवा "एनबीए" कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए दायर किया गया है।

2. और यतः, प्राधिकारी यह उपपादित करते हैं कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को "क्षति" तथा पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंधों के प्रथमदृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं जिससे पाटनरोधी जांच शुरू करना न्यायोचित ठहरता है। प्राधिकारी, कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की एक ऐसी राशि की सिफारिश करने, जो यदि उदग्रहित

की गई तो घरेलू उद्योग की "क्षति" को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार कथित पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में एक जांच एतद्द्वारा प्रारंभ करते हैं।

घरेलू उद्योग एवं आधार

3. यह आवेदन मैसर्स आन्ध्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। याचिकाकर्ता इस संबद्ध वस्तु का देश में एकमात्र उत्पादक है। यह भी नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता का उत्पादन भारत में उत्पादित समान वस्तुपका कुल भारतीय उत्पादन बनता है। यह भी नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने संबद्ध वस्तुका न तो आयात किया है और न ही उनका संबद्ध वस्तुब के किसी आयातक या निर्यातक से संबंध है। अतः : यह निर्धारित किया जाता है कि यह आवेदनपत्र याचिकाकर्ता द्वारा घरेलू उद्योग की ओर से किया जाता है और आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत "आधार" की जरूरत को पूरा करता है। इसके अतिरिक्त , आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत "घरेलू उद्योग" की अवधारणा को पूरा करता है।

विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान याचिका एवं प्रस्तार वित जांच में विचाराधीन उत्पाद "सामान्य ब्यूटानोल" है। सामान्य ब्यूटानोल एक आधारभूत कार्बनिक रसायन होता है जिसे सामान्यतः सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। सामान्य ब्यूटानोल एक प्राथमिक अल्कोहल होता है जिसके 4 कार्बन स्ट्रक्चर और जिसका मालीक्यूलर फार्मूला $CH_3CH_2CH_2CH_2OH$ होता है। सामान्य ब्यूटानोल यूरिया, मेलामाइन अथवा फिनोलिक रेजिनों से ब्यूटोक्साइड क्योलेक्स लैक्वर्स और बेकिंग फिनिशेस के लिए एक श्रेष्ठ, साल्वेट होता है। भारी संख्या में सामान्य ब्यूटानोल को कोटिंग इंडस्ट्रीज में साल्वेट के रूप में प्रयोग करने के लिए अवकलजों में संपरिवर्तित किया जाता है। इस उत्पाद को सीमा शुल्क प्रशुल्क शीर्ष संख्या 29051300 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि , यह सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्माक है और यह किसी भी रूप में वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

5. आवेदक ने दावा किया है कि भारत में संबद्ध देशों से आयातित वस्तु तथा घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु दोनों ही समान वस्तु हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान्य

ब्यूटानोल और संबद्ध देशों से आयातित सामान्यसब्यूटानोल भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों ; विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी , प्रकाश एवं प्रयोगों , उत्पादो विनिर्देशनों , कीमत निर्धारण , वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के प्रशुल्क वर्गीकरण के रूप में तुलनीय है। उपभोक्ता ाण इनका प्रयोग अतिरिक्त रूप से कर रहे हैं। दोनों ही तकनीकी रूप से एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्पर्धी हैं और इसलिए उन्हें पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत समान वस्तु के रूप में माना जाए। इसलिए वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदन द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु तथा संबद्ध देशों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु दोनों को "समान वस्तु" के रूप में माना जा रहा है।

संबद्ध देश

6. वर्तमान जांच में शामिल देश ईयू, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और यूएसए हैं।

सामान्यमूल्य

7. याचिकाकर्ता ने यह प्रस्तुत किया है कि संबद्ध वस्तु की संबद्ध देशों की घरेलू बाजार में सूचना/साक्ष्यप्राप्त करने का प्रयास किया गया था। तथापि, याचिकाकर्ता को यह सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी। इसलिए , याचिकाकर्ता ने सभी संबद्ध देशों /भूभागों के लिए सामान्य मूल्यका निर्धारण प्रमुख कच्चे तमाल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, घरेलू उद्योग के सर्वोत्तम खपत मानदंडों, घरेलू उद्योग के अनुसार संपरिवर्तन तथा अन्यी लागत, एवं तर्कसंगत लाभ मार्जिन पर विचार करते हुए की है। प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के दावे की जांच की है और यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों / भूभागों में संबद्ध वस्तु के सामान्यमूल्य के प्रथम दृष्टं या पर्याप्त साक्ष्य है।

निर्यात कीमत

8. आवेदक ने निर्यात कीमत का दावा विचाराधीन उत्पाद के लिए डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त खेपवार आंकड़ों के आधार पर भारत में आयातों की मात्रा एवं उसके मूल्य का आकलन करने के लिए किया है। समुद्री भाड़ा, सामुद्रिक बीमा, कमीशन, पतन व्यय अंतर्देशीय भाड़ा व्यय तथा बैंक प्रभारों के आधार पर कीमत समायोजन किया है।

पाटन मार्जिन

9. आवेदन ने दावा किया है कि उन्हें वास्तविक क्षति हुई है और उन्होंने संबंध देशों/भू-भागों से कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो आयातों में समग्र रूप से हुई वृद्धि, उत्पादन में कमी; बिक्री, क्षमता उपयोग, लाभ में गिरावट, नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ, नकद लाभ आदि में गिरावट के रूप में हुई है। आवेदक ने कीमत निग्रहण और कीमत अधोरदन/अधोविक्रयण द्वारा साक्ष्य के रूप में विपरीत कीमत प्रभाव का दावा भी किया है। प्राधिकरण यह विचार करते हैं कि संबंध देशों/भू-भागों से संबंध वस्तुवके पाटित आयातों द्वारा कारित आवेदक द्वारा सहन की जा रही "क्षति" के पर्याप्त साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराती है।

जांच की अवधि

11. घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच के लिए दिनांक 01.04.2013 से दिनांक 31.03.2014 तक की अवधि के लिए जांच की अवधि का प्रस्ताव किया था। तथापि, प्राधिकारी ने उसमें दिनांक 01.04.2013 से दिनांक 30.06.2014 तक के तीन माह का विस्तार किया है जिससे कि अद्यतन आंकड़ों का विश्लेषण किया जा सके। तथापि, जांच अवधि में अप्रैल, 2010 से मार्च, 2011, अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012, अप्रैल, 2012 से मार्च 2013 तथा जांच की अवधि (पीआईओ) शामिल है।

सूचना प्रस्तुत करना

12. सम्बद्ध देशों/भू-भाग के ज्ञात निर्यातकों तथा उन सरकारों को भारत स्थित उनके राजदूतावासों के जरिए और भारत में इस संबंध वस्तु² से संबंधित ज्ञात आयातकों और उनके प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित स्वरूप और ढंग से सभी संगत जानकारी प्रदान करने के लिए निर्धारित समय-सीमा के अंदर प्रस्तुति करने हेतु अलग से संबंधित किया जा रहा है।

कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी अधोलिखित समय-सीमा के अंदर विहित स्वरूप और ढंग में इस जांच से संगत जानकारी का प्रस्तुतिकरण कर सकता है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001

समय-सीमा

13. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में प्रेषित किया जाना चाहिए जिससे कि वह प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों (चालीस दिनों) से अनधिक समय में पहुँच जाए। यदि निर्धारित समय-सीमा के अंदर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

14. सभी हितबद्ध पक्षकार पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(1) के अनुसार प्रदान कराई गई गोपनीय सूचना के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार गोपनीय तथा अगोपनीय सारांश प्रदान कराए।

गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्धीकरण

15. यदि प्रश्नावली के उत्तर/प्रस्तुतिकरण के किसी भी भाग के लिए गोपनीयता का दावा किए जाने के मामले में इसे दो अलग-अलग भागों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए : (क) गोपनीय के रूप में चिह्नित (शीर्षक, विषय सूची, पृष्ठ की संख्या आदि) तथा (ख) दूसरा भाग अगोपनीय के रूप में चिह्नित (शीर्षक, विषय सूची, पृष्ठ की संख्या आदि)। उपलब्ध कराई गई समस्त सूचना में प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" लिख जाना चाहिए।

16. किसी भी तरह के चिह्न के बिना उपलब्धकराई गई सूचना अगोपनीय समझी जाएगी और प्राधिकारी के अन्यसहितबद्ध पक्षकारों को ऐसी किसी भी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति प्रदान करने हेतु स्वधत्त होंगे। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की पांच (05) प्रतियां प्रदान कराई जानी चाहिए।

17. गोपनीय के रूप में दावाकृत किसी भी सूचना के लिए सूचना के प्रदाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रदत्त सूचना के साथ-साथ उन कारणों का विवरण प्रस्तुत करेगा कि उक्त सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और /या उक्त सूचना को सारांश रूप में क्यों नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है।

18. अगोपनीय सूचना, गोपनीय सूचना की प्रतिकृति होना अपेक्षित है जिसे उसके साथ गोपनीय सूचना को, उस सूचना के आधार पर जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है, सूचीबद्ध किया जाए/संक्षेप में बताया जाए। अगोपनीय सारांश गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के विषय का एक युक्ति संगत विवरण होना चाहिए जिससे उस विषय को समझा जा सके। फिर भी, विशेष परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाली पार्टी दर्शा सकती है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत करना संभव नहीं है और कारणों का एक ब्यौतरा कि संक्षेपण संभव क्यों नहीं है, निर्दिष्ट प्राधिकारी की संतुष्टि हेतु मुहैया कराना चाहिए।

19. सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना अथवा गोपनीयता की दावे के संबंध में दिए गए कारण के ब्यौत्रे के बिना प्रस्तुत की गई सूचना को निर्दिष्ट रिकार्ड में नहीं लेंगे। प्राधिकारी, प्रदत्त सूचना से संतुष्ट होने और गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार कर लेने पर, ऐसी सूचना उपलब्ध, कराने वाले पक्षकार द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किए बिना, किसी भी पक्षकार के समक्ष इसे प्रकट नहीं करेंगे।

20. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच करने के पश्चात् गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए किया गया अनुरोध वांछित नहीं है अथवा सूचना का प्रदाता उस सूचना को सार्वजनिक करने का या तो इच्छुक नहीं है या उसका सामान्यीकृत अथवा सारांश रूप में प्रकटीकरण करने को प्राधिकृत करना नहीं चाहता है तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की अवहेलना कर सकते हैं।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

21. प्राटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुरूप कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय पाठ युक्तों सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

असहयोग

22. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

(जे. के. दादू)
निर्दिष्ट प्राधिकारी
